



महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय
Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalaya
(संसद द्वारा पारित अधिनियम 1997, क्रमांक 3 के अंतर्गत स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालय)
(A Central University established by Parliament by Act No. 3 of 1997)
नेक द्वारा 'A' ग्रेड प्राप्त Accredited with 'A' Grade by NAAC

कादर नवाज़ ख़ान
कार्यकारी कुलसचिव
Kadar Nawaz Khan
Acting Registrar

दूरभाष/Phone : +91-7152-230902
फैक्स/Fax: + 91-7152-247602

क्रमांक : 003/2003/का.आ./02-168/2020
दिनांक : 24.08.2020

कार्यालयादेश

विश्वविद्यालय के पूर्व विद्यार्थी सहकार मंच का नाम ज्येष्ठ विद्यार्थी सहकार मंच किया जाता है। ज्येष्ठ विद्यार्थी सहकार मंच की सदस्यता हेतु राशि रु 500/- सदस्यता शुल्क निर्धारित किया जाता है।

इसे सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

प्रति (ईमेल द्वारा) : समस्त अधिष्ठाता/विभागाध्यक्ष/केंद्र निदेशक

कादर नवाज़
(कुलसचिव)
24/08/2020

प्रतिलिपि :

1. कुलपति कार्यालय
2. प्रतिकुलपति (द्वय) कार्यालय
3. विश्वविद्यालय वेबसाइट
4. संबंधित पत्रावली